न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–93 वर्ष 2026
सी0जी0नं0–119/2026
C.N.R-UKDD05-000535-2026

जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उम्र 39 वर्ष पुत्र हरविन्दर सिंह, निवासी–तिलक रोड ऋषिकेश हाल पता–चन्द्रेश्वर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश, देहरादून।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य।

मु0अ0सं0–360 वर्ष 2026
धारा–351(3), 352 बीएनएस
थाना–ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–श्री रूद्राक्ष शर्मा।
राज्य की ओर–विद्वान ए0डी0जी0सी0, दाण्डिक
श्री राजेश पैन्यूली।

आदेश

दिनांक 19–08–2026

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **जगजीत सिंह उर्फ जग्गा** के द्वारा **एफआईआर संख्या–360/2026 अंतर्गत धारा–351(3), 352 बीएनएस** थाना ऋषिकेश जिला–देहरादून से संबंधित मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि उसे झूठा फंसाया गया है तथा वह निर्दोष है और यह कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है ना ही उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोप के संबंध में कोई अपराध कारित किया गया है। प्रार्थी को आशंका है कि सिंडिकेट के अनुचित प्रभाव व दबाव के चलते प्रार्थी को थाने बुलाकर उसके साथ गैर कानूनी हिरासत, गंभीर शारीरिक मारपीट, थर्ड डिग्री, टार्चर आदि यातनाएं दी जा सकती है और यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह व डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के अनुपालन में किसी भी नागरिक से पूछताछ ओडिया, वीडियो युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस उसे गिरफतार करने की फिराक में है तथा वह एक सम्मानित व्यक्ति है और यह कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित आयेगा। अंत में उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

3. इस प्रार्थना पत्र का विरोध विद्वान ए0डी0जी0सी0, फौजदारी द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा कहा गया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मामला गंभीर है और अभियुक्त अग्रिम जमानत का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. दोनों पक्षों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वर्तमान अभियुक्त के द्वारा एफआईआर संख्या–360/2026 अंतर्गत धारा–351(3), 352 बीएनएस थाना–ऋषिकेश से संबंधित मामले में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या तलब की गयी थी आख्या प्राप्त है। वर्तमान मामले में प्रार्थी के विरूद्ध जिन अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी वह सभी अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस आख्या में भी बताया गया है कि मुकदमा उपरोक्त 07 साल से कम की सजा का प्रावधान है, अभियोग जमानतीय प्रकृति का है, अभियुक्त की गिरफतारी के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि अभियुक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराने के लिए प्रयास किया गया था लेकिन वह अपने आवास पर नहीं मिला था जिस वजह से नोटिस चस्पा किया गया था।

6. यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अग्रिम जमानत का प्रावधान केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई ऐसा आरोप हो जो कि किसी अजमानतीय प्रकृति के अपराध से संबंधित हो और अभियुक्त को यह युक्तियुक्त भय/अंदेशा हो कि उसे गिरफतार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जो अपराध अभियुक्त के संबंध में बताये गये हैं वह सभी अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं और ऐसे अपराधों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को गिरफतार किया जाये और यदि तर्कस्वरूप अभियुक्त को गिरफतार किया जाता है तो अभियुक्त के पास मौलिक व संवैधानिक अधिकार है कि उसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाये क्योंकि अपराध जमानती प्रकृति के हैं। अब जबकि वर्तमान मामले में निहित अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं ऐसे में यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है कि अभियुक्त को गिरफतारी का कोई युक्तियुक्त भय या अंदेशा हो।

7. यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वयं पुलिस आख्या में इस बात का उल्लेख आया है कि विवेचक द्वारा धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस अभियुक्त के लिए प्रेषित किया गया था परन्तु अभियुक्त के घर पर ना मिलने की वजह से नोटिस अभियुक्त के घर पर चस्पा किया गया है। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि स्वयं अभियुक्त ने भी अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके घर

पर धारा 35(3) बीएनएसएस के नोटिस को चस्पा किया गया है। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का एक पत्र जो कि विवेचक को प्रेषित किया है की प्रति भी संलग्न की है और उसका उल्लेख प्रार्थी के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान भी किया है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि अभियुक्त को यह भय है कि जब वह धारा 35(3) बीएनएसएस के नोटिस की तामीली हेतु पुलिस स्टेशन जायेगा तो उसके साथ वहां पर पुलिस द्वारा मारपीट की जा सकती है, उसे प्रताड़ित भी किया जा सकता है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामान्यतः यह माना जायेगा कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे और किसी अपराध की विवेचना के दौरान कोई अपराध स्वयं नहीं करेंगे। जहां तक प्रार्थी के भय का प्रश्न है तो उस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश दिये जा सकते हैं जिससे कि अभियुक्त की मानवीय व संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके तथा मामले की विवेचना में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो।

8. उपरोक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय के मत में चूंकि वर्तमान मामले में सभी अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं और स्वयं पुलिस आख्या के अनुसार पुलिस/विवेचक द्वारा प्रार्थी को गिरफतार करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसे मेमं यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रार्थी को गिरफतारी का कोई युक्तियुक्त संदेह या भय हो। तदनुसार इस न्यायालय के मत में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किया जाता है।

9. यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस प्राप्त करके विवेचना में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और यदि धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो उस स्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश तथा मामले के विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि–

1–प्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस अंतर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस की तामीली/प्राप्ति ऐसे स्थान पर करायी जायेगी, जहां पर विवेचक तथा अभियुक्त पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हों और जितने समय भी अभियुक्त विवेचना के संबंध में पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेगा उतने समय तक अभियुक्त की उपस्थिति ऐसे स्थान/कमरे में होनी चाहिए जहां पर सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से चल रहा हो तथा उसकी रिर्कोडिंग भी हो रही हो।

2–यहां पर यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह 2021(1) एससीसी 184** वाले मामले में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे की रिर्कोडिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दी गयी अवधि तक उपलब्ध रहनी चाहिए।

3–प्रार्थी/अभियुक्त के पास यह मौलिक अधिकार है कि वह विवेचना में भाग लेते समय वह अपनी इच्छानुसार विधिक सहायता अपने अधिवक्ता के रूप में अपने साथ रख सकता है। ऐसे में यदि वर्तमान मामले में अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस प्राप्त करने तथा विवेचना में सहयोग देने/भाग लेने के लिए कोतवाली ऋषिकेश जाता है तो वह अपने साथ अपने अधिवक्ता को साथ रख सकता है।

इस आदेश की एक सत्यप्रति प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को व मामले के विवेचक को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक निःशुल्क प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करायी जाये।

(कंवर अमनिन्दर सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
ऋषिकेश, देहरादून।